Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 मार्च, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ़ अतिरिक्त चार्ज सचिव, कृषि उपज मण्डी, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि विपणन विभाग से मिलने वाली छूट पर अपनी रिपोर्ट कर जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़ को पत्रावली प्रेषित करने की एवज में सुभाष सहारण क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ़ अतिरिक्त चार्ज सचिव, कृषि उपज मण्डी, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा **2 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी हनुमानगढ़ इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रविन्द्र सिंह शेखावत** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुभाष सहारण पुत्र श्री राजाराम जाट निवासी कृषि मण्डी क्वाटर, रावतसर, हनुमानगढ़ हाल क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ़ अतिरिक्त चार्ज सचिव, कृषि उपज मण्डी, रावतसर, जिला हनुमानगढ़को परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।